तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रभूदयाल बनाम जगदीश** **99 / 19 (आरसीएमएस नं 2019 / 00051)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.20	अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। उन्होने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा इसी स्तर पर अपील को खारिज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील संख्या 99 / 19 को आज ही तलब की जाकर खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट स्वयं ही अपनी अपील को इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अब अपीलान्ट की अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील को आगे नही चलाये जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	